सुरक्षा परिषद् और हस्तक्षेप

कुंदन कुमार मिश्रा 'रिसर्च स्कॉलर'
(निर्देशक) अनिल कु. सिंह, जैन कॉलेज, आरा
वीर कुवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

सारांस

फैशन, वित्त, आर्थिक दबाब, तकनिकी क्रांति, विनिर्माण तथा सेवा उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण, कुशल श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय मांग, अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास, वैश्विक अखंडता तथा अंतरसम्बन्धिता की भावना, उपराज्य की अवधारणा, महाशक्ति राज्य तथा परमाणु सह सम्बन्ध गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संसथान जैसे **UNO, UNESCO, ASEAN, APEC, SAARC** इत्यादि द्वारा कुछ अर्थों में संप्रभु के सिद्धांत के अनन्य प्राधिकरण को नष्ट कर रहे हैं। राज्य वर्तमान में अपनी वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय व्यपार या वैश्विक भागिदार के रूप में कार्य् करने की वजह से स्वयं या स्वेक्षिक रूप से या अन्य अनैतिक रूप से अपनी पूर्णतावाद (संप्रभुता) को सीमा में बांध रहा है अथवा तकनिकी सर्वभौमिकता, इन्टरनेट, जी.पी.एस. तथा सेटेलाइट निगरानी इत्यादि के कारण से राज्य अपने संप्रभुता के अपरिवर्तनीय स्वरुप में बदलाव कर रहे हैं।

मूल शब्द चयन– संप्रभुता को चुनौती, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थान, स्थायी सदस्यता का दुरूपयोग

प्रस्तावना–

विकसित वैश्विक व्यवस्था के इस प्रक्रिया में तीसरी दुनिया के देशों के पास उनके हितों की रक्षा के लिए बहुत ही कम अवसर बच पाते हैं। परिणामस्वरूप इन देशों या एकतरफा विश्व् के दो तिहाई हिस्से को सामरिक संसाधन क्षेत्र तथा वैश्विकरण शक्तिक्षेत्र में ले जाने की असीम संभावनाएं हैं। वित्तीय तथा आर्थिक भ्रष्टता और अपर्याप्तता के स्वर इन संप्रभु राज्य को संप्रभुता के नुकसान के सबसे संभावित स्तर पर पहुंचाते हैं।

14 जून 2018 को जेनेवा में अचानक संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग द्वारा मीटिंग बुलाया गया जिसमें भारत द्वारा मानवाधिकारों का हनन किया गया इस बात की जांच करनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी किया में कहा गया कि भारत के कश्मीर क्षेत्र में मानवाधिकारों का हनन तेजी से किया जा रहा है। यह रिपोर्ट 49 पन्नों की रिपोर्ट थी जिसमें भारत के मानवाधिकार गतिविधियों को सामान्य नहीं बताया गया। इस 49 पेज के रिपोर्ट को चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की मीटिंग बुलाई गई थी। चर्चा के दौरान कहां गया कि 2016 से 2018 तक 145 नागरिक मारे जा चुके हैं जबकि 20 से अधिक नागरिक को आतंकी गतिविधियां शामिल होने के कारण मारे गये था। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि 2016 में प्रयुक्त पैलट गन अमानवीय था जिसके प्रयोग से 17 लोग मारे जा चुके थे तथा इसी क्रम में लगभग 6221 लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपनी रिपोर्ट में भारत द्वारा प्रयुक्त पैलट बंदूक को मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया था।

इसके बाद 9 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वितीय रिपोर्ट जारी की गई इसमें माना गया कि भारत तथा पाक दोनों कश्मीर विवाद हल करने में असफल रहे हैं। भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी तथा कहा कि यह भारतीय संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा है तथा इस रिपोर्ट में सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज किया गया है। भारत ने कहा कि रिपोर्ट में पाक प्रायोजित आतंकवाद की कोई भी आवधिक समीक्षा नहीं की गई है। भारत ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ पर आतंकवाद को वैधता प्रदान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट गलत और पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ को भारतीय अखंडता का सम्मान करने को कहा। यह भारतीय संप्रभुता के विपरीत है इसके पश्चात भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया।

भारत में इसके पश्चात निर्णायक कदम उठाए गए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और पाक के मध्य इसे द्विपक्षीय करार दिया। अक्टूबर 2019 को भारत में अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर से हटाया तब पाकिस्तान द्वारा इसे वैश्विक मुद्दा बढ़ाने का पुनः प्रयास किया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाक को पुनः चीन की मध्यस्थता से संयुक्त राष्ट्र संघ इस मुद्दे को उठाया जिसका भारत ने विरोध किया साथ ही चीन को छोड़कर बाकी सभी स्थाई देश इस बात से सहमत थे कि यह भारत का अंदरूनी मामला है जिस पर किसी अन्य देश को मध्यस्था करने की कोई जरूरत नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन ने इसे विवादित क्षेत्र बताया वहीं अन्य सदस्य सदस्यों ने अंततः इस बात पर सहमति प्रदान की इस मुद्दे को भारत तथा पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता या द्विपक्षीय वार्ता द्वारा ही सुलझा जा सकता है। भारत नें अपनी अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास किए जिसमें भारतीय विदेश नीति का बदलता स्वरूप प्रमुख है।

जनवरी 2020 में पुनः चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का दुरुपयोग कर पाकिस्तान के पक्ष में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया प्रतिक्रिया दी और कुल 15 सदस्यों में चीन को छोड़कर 4 स्थाई सदस्य तथा 10 अस्थाई सदस्य एक बात पर एक जैसी सहमति प्रकट की। उनकी सहमति इस बात पर थी कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे भारत तथा पाक मिलकर हल करेंगे। उन्होंने पुनः इस बात को भी स्वीकार किया कि 370 अनुच्छेद को हटाना भारत का आंतरिक मुद्दा था इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूकि 4 स्थायी भारत के पक्ष में थे इसलिए कश्मीर जैसे संकल्प में संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 1947 से लेकर अब तक कई करार हो चुके हैं जो कि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान अपने मध्य विवादित मुद्दों का निपटारा स्वयं ही करेंगे तथा इसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप करने की सलाह ना देंगे। इस वैश्विक व्यवस्था में सबसे अधिक निर्णायक पहलू संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप है। संयुक्त राष्ट्र संघ तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब इस के स्थाई सदस्य इसके मत में अपनी राय दें। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी संस्था के रूप में उपस्थित है जो स्थाई सदस्य की निर्देशन के अंतर्गत हस्तक्षेप तो कर सकता है लेकिन यदि उसे जरूरी मामले पर भी हस्तक्षेप न करने कहा जाए या अस्थाई सदस्य के विपक्ष में वोट करें अथवा कोई एक सदस्य इसके विपक्ष में वोटिंग करें तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही नहीं कर सकता। सीधे शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि यदि कहीं हस्तक्षेप की आवश्यकता हो परंतु सदस्य देशों की मनाही हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सकता इसके विपरीत यदि किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवश्यक ना भी हो तो यदि स्थाई सदस्यों की सहमति हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यवाही कर सकता है।

वैश्वीकरण के इस दौर में जब राज्य की संप्रभुता तथा अस्मिता का हनन अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है एक वैश्विक व्यापार की कल्पना की जा रही है साथ ही सभी वैश्विक संस्थानों द्वारा आर्थिक गतिविधि पर आवश्यक छूट प्राप्त किया जा रहा है या छूट पाने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण राज्य की संप्रभुता में आवश्यक बदलाव हो रहा है। पारंपरिक रूप से संप्रभुता राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली मानता है तथा राज्य के भूखंड में किसी भी प्रकार के वाह्य हस्तक्षेप से अपने आप को दूर रखता है। लेकिन वैश्वीकरण की गतिविधि को देखा जाए तो कहीं न कहीं राज्य अपने दायित्व से अनावश्यक रूप से पीछे हो रहा है। यूनानी दार्शनिक ने जिस राज्य की कल्पना की थी वह राज्य कहीं से भी गैर संप्रभु नहीं था, यह राज्य कहीं से भी विवादित नहीं थे। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अगस्टाइन, सेंट थॉमस, एक्विनास, मैकियावेली, बोंदा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक तथा रूसो इन सभी ने राज्य की सुरक्षा के बारे में कई पहलुओं पर चर्चा की है जिसमे इन्होंने राज्य की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय रूप से सर्वोपरि माना है। भारत में महात्मा गांधी ने रामराज्य की कल्पना की है परंतु या रामराज्य वाह्य हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त था। राज्य के किसी भी सिद्धांत राज्य को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त बनाया गया है लेकिन 1970 के दशक से कोई भी अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में परिणित हो चुकी है। सभी राष्ट्र राज्य अपने व्यापार की गतिशीलता में दिन–रात निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, राज्य का पूर्णतावादी स्वरूप कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा नजर आ रहा है। प्लेटो, अरस्तु से लेकर जॉन रॉल्स तक न्याय को प्रस्तुत किया लेकिन इन लोगों ने कभी अंतरराष्ट्रीय न्याय की संकल्पना को अत्यधिक महत्व नहीं दिया है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्वान ब्रेजनेप्स ने भी सामूहिक सुरक्षा की बात की थी लेकिन वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व एक राज्य से कहीं ऊपर बढ़ चुका है, जबकि सबको पता है यह संस्थान चिरकालिक महत्व के नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान का वैश्विक संरक्षण में अत्यधिक योगदान चाहिए था लेकिन इसनें अपने स्वरूप पर महत्वपूर्ण बदलाव की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया है जबकि पर्यावरण सुरक्षा, प्रजाति सुरक्षा, वन संरक्षण, तापमान में वृद्धि को रोकना, हिंसा वादी प्रवृत्ति को रोकना, मानवता का मानव सभ्यता का विकास करना तथा अन्य चीजों को द्वितीय श्रेणी में माना है।

1970 के दशक से ही हथियारों कि होड़ अपने चरम पर है, जब सभी देश अपने पास न्यूक्लियर पावर चाहते हैं तब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कुछ परमाणु संपन्न राष्ट्र गैर परमाणु संपन्न राज्य को रोकने का प्रयास करते हैं जबकि भारत वहीं पूर्व निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत ने पिछले कई वर्षों में प्रायोजित आतंकवाद को महत्वपूर्ण मानवता के लिए खतरा बताया है। आतंकवाद मानवता तथा मानव प्रजाति के लिए विशेष खतरे के रूप में माना जाता है। वैश्विक आतंकवादी संगठन हमास और आईएसआईएस ने पूरे दुनिया में मानवता को क्षति पहुंचाई है। किसी सभ्यता के विकास में जहां करोड़ों वर्ष लग जाते हैं वही उस सभ्यता को क्षति पहुंचाने में कुछ दिन या कुछ महीने लगते

हैं। विश्व में रोहिंग्या संकट जब अपने चरम पर है, ये एक प्रजाति है जिसे कोई भी देश अभी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मानवता के संरक्षण में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई है लेकिन उनके बसने के लिए कोई अन्य कदम नहीं उठाया। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां यहूदियों को संरक्षण प्राप्त हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 49 पन्ने के रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत मानवाधिकारों की रक्षा नहीं हुई है। पूरे विश्व ने भारत की संस्कृति को देखा है और पूरे विश्व को पता है कि दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जिसका कोई वैश्विक आतंकवादी संगठन नहीं है, भारत के सभी धर्मों को समान आदर दिया है यहां तक कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ बार–बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और यह दुरुपयोग भारतीय अखंडता तथा अस्मिता के लिए खतरा है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र निरंतर प्रगति हासिल की है एक ऐसी प्रगति हासिल की है जो दशकों तक किसी अन्य देश को हासिल ना हुई है। भारत में अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त की है। भारत नें अपनी सीमा सुरक्षा हेतु सेटेलाइट तथा तकनीक में उत्तर तकनीकी प्रवृत्ति विकसित की है। आज भारत किसी भी मौसम में पृथ्वी का सटीकता से तस्वीर खींच सकता है साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उसी समय उसका वर्णन कर सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने परमाणु नीति के बारे में क्या कहा था कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन 2019 के कुछ गतिविधियों से यह पता चला कि भारत कभी भी अपनी नीति में बदलाव कर सकता है। इस बदलाव की नीति से भारत की सुरक्षा अत्यधिक बढ़ी है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 70 के दशक में भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान की है। भारत में तीक्ष्ण प्रगति हासिल की है जो वैश्विक रूप में भारत के पड़ोसी देशों को बार–बार खटक रहा है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र परिषद् के शक्ति को यदि सही दिशा में उपयोग नहीं किया गया तो इसका बिस्फोटक परिणाम सामने आएगा और कई देशों के अस्तित्व के पहचान को खतरा उठाना पड़ सकता है। भारत जैसे सम्प्रभु राज्य के लिए बार–बार संयुक्त राष्ट्र अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता रहा है जबकि भारत ने इसके विपक्ष में कई वैध तर्क दिए हैं। हस्तक्षेप द्वारा किसी देश कि राजनीतिक पहचान धूमिल हो रही है। आज विश्व में पहचान कि समस्या सबसे महत्वपूर्ण है। इस समकालीन परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र को सबके साथ, सबके विकाश कि ओर ध्यान लगाना चाहिए न कि एक ऐसी समस्या को खड़ा करना जिससे समस्त विश्व तृतीय महायुद्ध कि ओर कदम बढ़ाये। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्वा पर निकट भविष्य में खतरा हो सकता है।

सन्दर्भः–

- संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2019
- मानवाधिकार घोषणापत्र (UNHRC)
- अनुछेद 370 (संविधानिक संसोधन प्रक्रिया : लोकसभा टीवी)
- संसदीय कार्यवाहीः लोकसभा तथा राज्यसभा
- संप्रभुता का मूल स्वरुप जॉन ऑस्टिन
- भारत कि परमाणु नीति : राजेश मिश्रा
- राज्य कि संकल्पना : ओम प्रकाश गावा
- भारत और भूमंडलीकरण : अभय कुमार दुबे
- सामूहिक सुरक्षा : ब्रेज्नेप्स प्रपोजल फार कलेक्टिव सिक्यूरिटी
- रोहिंग्या समस्या : बी.बी.सी.हिंदी
- आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस : विज्ञान प्रगति दिसंबर 2019